न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 132/2006/दावा

रामदेव पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर —वादी

ब ना म

1. मालाराम पुत्र धन्नाराम
2. भागीरथ
3. हणमान
4. शंकर
5. सुवा लाल

पुत्रगण बेणा राम

6. लादी देवी बेवा बेणा राम
7. दुला राम पुत्र जैसा राम

समस्त जाति जाट निवासीगण चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. पटवार, पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 23.02.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गोपीनाथपुरा प.म. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं. 860 ता 865 किता 6 कुल रकबा 8.33 है0 अवस्थिता है जिसमें वादी की माता गुलाबी देवी उर्फ गुल्लीदेवी का हिस्सा 3/40 है। वादी की माता शुरू से ही वादी के पास ही रहती थी व वादी ही अपनी माता की सेवा करता था। वादी की माता ने वादी की सेवा से प्रसन्न होकर ही अपने जीवन काल में ही दिनांक 23.05.1992 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपनी उपरोक्त मद सं. 1 में वर्णित आराजियात में अपने हिस्से 3/40 को वादी को दे दिया था जिस पर वादी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अब वादी की माताजी का देहांत हो गया है इसलिए वादी को उक्त भूमियों में वादी की माता के हिस्से 3/40 का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। अब प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के मन में बेईमानी आ गई है जो प्रतिवादी सं. 8 व 9 से साज कर वादी की माताजी के हिस्से 3/40 की भूमियों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कोई हक व अधिकार नहीं हे इसलिए उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वो उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी की माता गुल्ली देवी के 3/40 हिस्से

अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

की भूमि को अपने नाम करवाने व उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने, कब्जा व बेचान आदि करने से बाज रहे। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 8 व 9 को वसीयत के अनुसार अपनी माता के हिस्से की आराजी का ना.करण अपने नाम खोलने का बार बार निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादी सं. 8 व 9, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 से साजकर स्व. गुल्लीदेवी के 3/40 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम भी दर्ज करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी सं. 8 व 9 को कोई हक व अधिकार नहीं है इसके बावजूद अगर प्रतिवादी सं. 8 व 9 वादी से राजनैतिक द्वेषता व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 से साजिश के कारण वादी की माता की वसीयत शुदा आराजी का ना.करण प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के पक्ष में भी खोलने के उद्देश्य से कामयाब हो गये तो वादी को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादी सं. 8 व 9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वे उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के पक्ष में ना.करण भरने की कुयोजना से बाज रहे व प्रतिवादी सं. 8 व 9 को जरिये व्यादेशात्मक आदेश से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी की माता की 3/40 हिस्से की आराजियात जो वादी के पक्ष में वसीयत की गई है उसका ना.करण वादी के पक्ष में भरा जावें। वादी अपनी माता के हिस्से की आराजी पर शुरू से ही साथ साथ काश्त करता चला आ रहा हे व माता ने अपने जीवन काल में ही वादी के पक्ष में अपने हिस्से की आराजियात का वसीयतनामा भी तस्दीक करवा दिया था व आज भी वादी अपनी माताजी के हिस्से पर भी काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी की माता जी स्व. गुल्लीदेवी के 3/40 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अगर प्रतिवादीगण अपनी कुचेष्टाओं में सफल होकर वादी को उसके तथा उसकी माता के स्सि की भूमियों से बेदखल कर कब्जा करने, भूमियों को खुर्द बुर्द कर बेचान करने में सफल हो गये तो वादी के मूलभूत सांपतिक अधिकारों का हनन होगा तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं आज से करीब 5–7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके व उसकी माताजी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल करने व उसकी माताजी के हिस्से की 3/40 हिस्से की भूमि को वादी के पक्ष में वसीयत होने के बावजूद प्रतिवादी गण द्वझरा आपस में साज कर वादी की माताजी के 3/40 हिस्से की आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम भी ना.करण के जरिये दर्ज करने की धमकी दी गई जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो वादी को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद कारण आज से 5–7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ग्राम चक में उसके कब्जे स्वामित्व व उसके पक्ष में वसीयत शुदा आराजियात से वादी को जबरन बेदखल करने व वादी के पक्ष में वसीयत शुदा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम ना.करण भरने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ जो

खण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से जारी है। प्रतिवादी सं. 10 को पंजीयन अधिकारी व भूमिधारक होने की वजह से राज्य सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वो ग्राम गोपीनाथपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 860 से 865 किता 6 कुल रकबा 8.33 है0 में वादी की माताजी के 3/40 हिस्से की भूमि जो वादी के कब्जे काश्त में है उसको खुर्द बुर्द करने, रहन, बेचान तथा अपने नाम ना.करण खुलवाने से स्वयं मय नौकर, एजेंट इत्यादि बाज रहे। डिक्री इस आशय की जारी की जावें कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी की माताजी के हिस्से 3/40 का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें डिक्री आदेशात्मक व्यादेश इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी सं. 8 व 9 वादी की माती के हिस्से की भूमि को वसीयत अनुसार वादी के पक्ष में ना.करण भररकर कानून सम्मत कार्य करें।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 7 ता 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम व प्रतिवादी सं. 2 ता 6 की ओर से वकील श्री मूलचन्द धायल ने वकालतनामा पेश किये गये। वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने व उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किये जाने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये।

3. बहस वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वसीयत के अनुसार वादी की माताजी के हिस्से की उद्घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2062–65 खाता सं. 155 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी गुल्ली बेवा धन्ना हि. 3/40 सा.देह के नाम से है। गुल्लीदेवी ने अपनी हिस्से की भूमि 3/40 की रजिस्टर्ड वसीयत वादी रामदेव के पक्ष में की गई है। वसीयत गुल्ली उर्फ गुलाबी बेवा धन्ना उम्र 60 वर्ष जाति जाट नि. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा प्रार्थी रामदेव के पक्ष में वर्णित भूमियां खसरा नं. 272, 278, 270/486 किता 3 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा में हिस्सा 3/40 हि. तथा वाके ग्राम गोपीनाथपुरा की तन में अवस्थित भूमि ख.नं. 177 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा में 3/40 हि. की है। उक्त वसीयत पत्र को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वसीयतकर्ता गुल्लीदेवी की मृत्यु दिनांक 17.05.2003 को हो चुकी है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं. 177 के वर्तमान खसरा नं. 856 ता 865 बने है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2062–65 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिा सीकर के खसरा नं. 861 ता 865, 860 किता 6 कुल रकबा 8.33 है0 में मृतका गुल्ली का 3/40 हि. है जो मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.05.92 के अनुसार वादी रामदेव के हक में वसीयत की है। उक्त वसीयत को निरस्त करवाने का

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इस प्रकार उक्त वसीयत अनुसार अन्य किसी का हक अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विवादित आराजियात खसरा नं. 861 ता 865, 860 किता 6 कुल रकबा 8.33 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी रामदेव को 3/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा खातेदार गुल्ली बेवा धन्ना हि. 3/40 का नाम हजफ किा जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 23.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 132/2006/दावा

रामदेव पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी

ब ना म

1. मालाराम पुत्र धन्नाराम
2. भागीरथ
3. हणमान
4. शंकर
5. सुवा लाल

पुत्रगण बेणा राम

6. लादी देवी बेवा बेणा राम
7. दुला राम पुत्र जैसा राम

समस्त जाति जाट निवासीगण चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. पटवार, पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक– 23.02.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

रामदेव
~~चौधरी~~

बइजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

बनाम

मालाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 132 / दावा / 2006

निर्णय दिनांक 23.02.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री आनन्द राड़ वकील मिनजानिब मुद्दई वकील एवं –– मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है विवादित आराजियात खसरा नं. 861 ता 865, 860 किता 6 कुल रकबा 8.33 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी रामदेव को 3/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा खातेदार गुल्ली बेवा धन्ना हि. 3/40 का नाम हजफ किा जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 फरवरी, 2017 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	9	00	मीजान	2	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner